

## कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर (म०प्र०)

### कार्यालय सहायक सह - डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा पद को भरे जाने हेतु सामान्य निर्देश एव रूल बुक

#### न्यूनतम अर्हतायें-

1. कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. 01 वर्ष का यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर का डिप्लोमा।
3. न्यूनतम तकनीकी योग्यता (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा का स्कोर कार्ड (नोट- ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व की दिनांक तक का VALID स्कोर कार्ड मान्य किया जावेगा)।
4. आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए।
5. आवेदक की आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष से 35 तक।  
(शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को पाँच वर्ष की अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी।)  
(नोट:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 05 वर्ष की छूट नियत है।)

#### अनुभव :-

1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्यों का हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।
2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।
3. दस्तावेजों की स्केनिंग
4. एम.एस. ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने किसी पंजीकृत शासकीय / अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था कार्यालय का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।
5. अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व का सक्षम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस संविदा भर्ती के पद अनुरूप तकनीकी योग्यताओं के बिंदुओं के अनुरूप जारी होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. **ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि** :- .....

2. **मूल निवासी प्रमाण पत्र** :-

उपरोक्त पद मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये है। अतः आवेदक के चयन की स्थिति में नियुक्ति के पूर्व म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा चयन अमान्य किया जायेगा।

3. **चयन प्रक्रिया का आधार** :-

1. प्राप्त ऑनलाईन आवेदकों को सी.पी.सी.टी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा। मेरिट के निर्धारण में केवल उन्ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो। कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में अधिकतम अंको से ज्यादा एवं न्यूनतम अंको से कम अंक दर्ज वाले अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से स्वतः बाहर कर दिया जाएगा।

2. यदि दो या अधिक आवेदको के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो क्रमशः हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।

3. सभी प्रारूप में मेरिट में दो आवेदको को समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदको को प्राथमिकता होगी।

4. मेरिट सूची के आधार पर संबंधित आवेदको को समस्त मूल दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु मूल दस्तावेज संबंधी समिति के समक्ष निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन में असफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। प्रोविजनल मेरिट सूची तैयार कर एमपी ऑनलाईन पोर्टल <https://mponline.gov.in/portal/> पर प्रकाशित कर दावे आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे।

दावे आपत्ति प्राप्त कर इनके निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची जिला कार्यालय द्वारा तैयार कर एमपी ऑनलाईन पोर्टल <https://mponline.gov.in/portal/> एवं जिले की वेबसाइट [www.sehore.nic.in](http://www.sehore.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।

5. संवर्गवार पदों की संख्या के 10 गुना सफल आवेदको के साथ अंतिम सूची में चयनित अभ्यर्थी के बाद वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी जो की जारी होने की दिनांक से 02 वर्षों के लिए वैध होगी।

6. अंतिम मेरिट सूची जारी करने के उपरांत मेरिट अनुसार क्रमशः सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति/ज्वाइनिंग हेतु बुलावा आदेश प्रेषित किया जाएगा।

7. नियुक्ति/ज्वाइनिंग के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भर्ती समिति द्वारा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में असफल अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर मेरिट सूची से आगे के अभ्यर्थी को क्रमशः बुलाया आदेश प्रेषित किया जाएगा।

8. केवल प्रोविजनल मेरिट सूची के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी का पद पर दावा मान्य नहीं होगा।

### महत्वपूर्ण तिथियां

स0क्र0	कार्य	दिनांक
1	ऑनलाईन प्राप्त आवेदन किये जाने की प्रारंभ तिथि	
2	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	
3	ऑनलाईन आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि	

- **पोर्टल शुल्क:-**

कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के जिला सीहोर मे पदपूर्ति की प्रक्रिया अंतर्गत आवेदन शुल्क कार्यालय कलेक्टर सीहोर द्वारा नही लिया जा रहा है। सभी आवेदको को केवल एम पी ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य रहेगा।

## संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्ते

### संविदा अवधि

1. संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी ।
2. 01.01.2024 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक । (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जायगी ।)
3. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षो मे से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
- 4 . आवेदक की आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष से 35 तक।  
(शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को पाँच वर्ष की अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी।)  
(नोट:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/नि:शक्तजन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 05 वर्ष की छूट नियत है ।)

### मानदेय/पारिश्रमिक

5. संविदा सेवा मे प्रतिमाह एकजाई वेतन राशि रूपये **19,500/-** (उन्नीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र देय होगी ।
6. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नही होगी ।
7. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

### अवकाश

8. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।  
इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएगा।  
संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरुष

अधिकारी/कर्मचारी को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।

उपरोक्त संशोधनों को आधार मानकर उपरोक्तानुसार वर्णित अवकाश श्रेणियों से संबंधित पूर्व स्वीकृत/ निराकृत प्रकरण पुनः नहीं खोले जाएंगे।

उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों की स्वीकृति से किया जायेगा बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

#### एनपीएस :-

9. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

#### अन्य :-

10. इस संविदा के आधार पर नियमितकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जाएगा ।

11. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी । इस अवधि में यदि नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जाएगा।

12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सकेगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन टीप के बार-बार अनुबंध निष्पादन की बाधता नहीं रहेगी। आधार आगामी वर्ष हेतु संविदा नवीनीकरण पर विचार किया जायेगा।

13. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे ।

14. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

15. मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा ।

16. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एक माह पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा ।

18. उपरोक्त शर्तों के साथ संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर सामान्य प्रशासन विभाग M0प्र0 शासन के संविदानिती दिनांक 22 जुलाई 2023 के उपबंध लागू होंगे। यदि उपरोक्त शर्तों एवं सामान्य प्रशासन विभाग की नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंधों के मध्य के मध्य किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंध मान्य होंगे ।

कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) पद हेतु शैक्षणिक व्यवहारिक एवं तकनीकी योग्यता

1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता ।
2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी ।
3. दस्तावेजो की स्केनिंग ।
4. एम.एस. - ऑफिस तथा डाटावेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव ।
5. शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।
6. एक वर्ष का यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर का डिप्लोमा ।
7. न्यूनतम तकनीकी योग्यता C.P.C.T परीक्षा उत्तीर्ण ।